belong to OBC. This number stands at 7 per cent in the case of SCs and a mere 1.5 per cent in the case of STs. Quite surprisingly, the University Grants Commission has recently issued draft guidelines de-reserving the vacancies meant for SC, ST and OBC candidates in higher educational institutions and opening up them for General Category. This is very much unconstitutional and unwarranted. The guidelines clearly state that the ban on de-reservation of reserved vacancies in direct recruitment might be lifted in exceptional cases. I really do not understand what exceptional cases are prevailing now for the UGC to take such an unconstitutional step.

Sir, I draw your kind attention to the Central Educational Institutions (Reservation Teachers' Cadre) Act, 2019, which clearly prohibits de-reservation. The general procedure that is being followed throughout India not only in respect of educational institutions but even in respect of other Government bodies and non-Government bodies is that if unfilled quota positions in the case of SCs, STs and OBCs are not filled or are unfilled, they are re-advertised and then special recruitment drives are carried out till the suitable candidates are identified and, when the suitable candidates are identified, these vacancies will be filled. This procedure will go on and there is no occasion and there is no reason why this should be de-reserved.

Sir, my sincere appeal to the Government is to prevent UGC from implementing such draft guidelines that erode the constitutional rights and protections which have been conferred on SCs, STs and OBCs in the case of reservation.

I urge the Government to ensure that the vacant positions reserved for the OBCs, SCs and STs are expeditiously filled and concerted effort be made in this regard. Thank you very much, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the Zero Hour mention raised by the hon. Member, Shri V. Vijayasai Reddy: Shri A.A. Rahim (Kerala), Shri Ram Chander Jangra (Haryana), Shri Sandosh Kumar P (Kerala), Shri M. Shanmugam (Tamil Nadu), Dr. John Brittas (Kerala), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shrimati Vandana Chavan (Maharashtra), Dr. Santanu Sen (West Bengal), Dr. Amar Patnaik (Odisha) and Shri Saket Gokhale (West Bengal).

Now Shri Ajay Pratap Singh, 'Demand to include Kol Tribe in Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTG).'

Demand to include Kol tribe in Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTG)

श्री अजय प्रताप सिंह (मध्य प्रदेश): माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का और सरकार का ध्यान कोल जनजाति की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। यह सर्वविदित तथ्य है

कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति की आबादी निवास करती है। मध्य प्रदेश की आबादी की लगभग 21 प्रतिशत आबादी जनजाति भाइयों की है। इन जनजाति भाइयों के बीच में लगभग 7.68 प्रतिशत आबादी कोल जनजाति की है और यह मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इसका उद्‌गम स्थल रीवा जिले के फरेन्दा गांव, कुराली गांव में है। यह कोल जनजाति है, इसके शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक समिति का गठन किया था। उस समिति ने सतना जिले के पांच गांवों का सैम्पल के तौर पर चयन करके उनका जो अध्ययन किया है, उसके निष्कर्ष से मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं। उसके निष्कर्ष के अनुसार कोल जनजाति के मध्य सतना जिले में जो शिक्षा का प्रतिशत है, वह लगभग 32 प्रतिशत है। सतना जिले की आबादी लगभग 22 लाख है, उस 22 लाख में से कोल जनजाति 2.68 लाख है, और इस 2.68 लाख के बीच में चंद सैकड़ा लोग ही स्नातक हैं, कुछ लोगों ने ही 12वीं की कक्षा पास की हुई है। कोल जनजाति के लोगों के पास आजीविका का कोई साधन नहीं है, ये सामान्यतः मजदूरी करते हैं, खेतिहर मजदूर हैं, बड़े शहरों में रिक्शा चलाते हैं, इनके पास आवास के लिए भी कोई अपनी ज़मीन नहीं है। ये अन्य जाति के किसानों की ज़मीन पर बसे हुए हैं अथवा सरकारी भूमि पर बसे हुए हैं। इस कोल जनजाति की जो समस्याएं हैं, इनको हल करने के लिए मेरा सरकार से आग्रह है कि अभी प्रधानमंत्री जनमन योजना लागू की गई है पीवीजीटी ट्राइब्स के लिए, उसके तहत या तो कोल जनजाति को पीवीजीटी ट्राइब्स के अंतर्गत शामिल किया जाए अथवा प्रधानमंत्री जनमन योजना का विस्तार कोल जनजाति तक किया जाए, जिससे उनका जो आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ापन है, वह दूर हो सके और वे विकास की मुख्य धारा में सम्मलित हो सकें तथा उनका भी उत्थान हो सके, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपसभापतिः The following hon. Members associated themselves with the Zero Hour mention raised by the hon. Member, Shri Ajay Pratap Singh: Shri Deepak Prakash (Jharkhand), Dr. Santanu Sen (West Bengal) and Dr. Amar Patnaik (Odisha).

Now Shri Iranna Kadadi, "Need for Amendment in MPLADS guidelines." Shri Iranna Kadadi; not present. Then, Shri Muzibulla Khan, "Demand to Increase the supply of fertilizers to Odisha."

Demand to increase the supply of Fertilizers to Odisha

श्री मुजीबुल्ला खान (ओडिशा): उपसभापति महोदय, आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। सर, ओडिशा में किसानों के लिए फर्टिलाइजर की बहुत कमी है। इसी के कारण हमारे माननीय मुख्य मंत्री श्री नवीन पटनायक जी कई बार कृषि मंत्री जी को चिट्ठी लिख चुके हैं, बोल चुके हैं और उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि ओडिशा में जो फर्टिलाइजर की कमी हो रही है, उसको फुलफिल किया जाए।

सर, अगर नेशनल लेवल का एवरेज देखा जाए, तो प्रति हैक्टेयर एक क्विंटल 37 केजी के हिसाब से खर्चा होता है या केन्द्र सरकार देती है, लेकिन ओडिशा में 66 किलो ही फर्टिलाइजर